



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 1] नई दिल्ली, जनवरी 15—जनवरी 21, 2017, शनिवार/पौष 25—माघ 1, 1938

No. 1] NEW DELHI, JANUARY 15—JANUARY 21, 2017, SATURDAY/PAUSA 25—MAGHA 1, 1938

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4

PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 2017

का.नि.आ. 01.—राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम, 1948 (1948 का 31) की धारा 12 की उपधारा (1) और (1ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से निम्नलिखित व्यक्तियों को केन्द्रीय सलाहकार समिति के गैर सरकारी सदस्य के रूप में नियुक्त करती है तथा भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के का.नि.आ. 76 (अ), दिनांक 10 अक्तूबर, 1983 की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है; अर्थात्:-

उपर्युक्त अधिसूचना में क्रम सं. 8,9,10,11,12 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के लिए "धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (ज) के तहत" शीर्षक के अंतर्गत क्रमशः निम्नलिखित क्रम संख्याएं तथा प्रविष्टियां रखी जाएं:-

- | | | |
|------|---------------------|-----------|
| (8) | डॉ. मिहू अलूर |सदस्य |
| (9) | श्री पार्थ जे. शाह |सदस्य |
| (10) | श्री पीयूष पाण्डे |सदस्य |
| (11) | श्रीमती बचेन्दी पाल |सदस्य |
| (12) | श्री अनुपम खेर |सदस्य |

[सं. 3(12)/2012/रक्षा (जी एस-6)]

समित दत्ता गुप्ता, अवर सचिव

पाद टिप्पणी : यह अधिसूचना दिनांक 10 अक्टूबर, 1983 के का.नि.आ. सं. 76 (अ) द्वारा प्रकाशित की गई थी तथा बाद में उसमें निम्नलिखित का.नि.आ. द्वारा संशोधन किया गया था:-

1. का.नि.आ. सं. 290 दिनांक 18.08.1986
2. का.नि.आ. सं. 154 दिनांक 06.04.1987
3. का.नि.आ. सं. 298 दिनांक 25.09.1987
4. का.नि.आ. सं. 110 दिनांक 28.05.1990
5. का.नि.आ. सं. 140 दिनांक 28.06.1990
6. का.नि.आ. सं. 224 दिनांक 30.09.1991
7. का.नि.आ. सं. 225 दिनांक 30.09.1991
8. का.नि.आ. सं. 183 दिनांक 22.06.1992
9. का.नि.आ. सं. 184 दिनांक 20.05.1993
10. का.नि.आ. सं. 188 दिनांक 21.08.1995
11. का.नि.आ. सं. 94 दिनांक 16.05.1996
12. का.नि.आ. सं. 172 दिनांक 11.12.1998
13. का.नि.आ. सं. 37 दिनांक 24.02.1999
14. का.नि.आ. सं. 183 दिनांक 16.08.2000
15. का.नि.आ. सं. 44 दिनांक 18.02.2003
16. का.नि.आ. सं. 67 दिनांक 30.05.2003
17. का.नि.आ. सं. 157 दिनांक 17.10.2003
18. का.नि.आ. सं. 55 दिनांक 24.04.2006
19. का.नि.आ. सं. 90 दिनांक 30.06.2006
20. का.नि.आ. सं. 14 दिनांक 26.02.2007
21. का.नि.आ. सं. 26 दिनांक 22.09.2009
22. का.नि.आ. सं. 46 दिनांक 04.07.2013

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 9th January, 2017

S.R.O. 01.—In exercise of powers conferred by sub-section (1) and (1A) of Section 12 of the National Cadet Corps Act, 1948 (31 of 1948), Central Government hereby appoints the following persons as non-official members of the Central Advisory Committee with effect from the date of publication of this Notification in the Official Gazette and makes the following amendment in the Notification of the Government of India in the Ministry of Defence SRO 76(E), dated the 10th October, 1983, namely:-

In the said Notification, under the heading “under clause (h) of Sub-Section (1) of Section 12”, for serial number 8,9,10,11 and 12 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall respectively be substituted, namely:-

- | | | |
|------|--------------------|------------|
| (8) | Dr. Mithu Alur |Member |
| (9) | Shri Parth J.Shah |Member |
| (10) | Shri Piyush Pandey |Member |
| (11) | Smt. Bachendri Pal |Member |
| (12) | Shri Anupam Kher |Member |

[No. 3(12)/2012/D(GS-VI)]

SAMIT DATTA GUPTA, Under Secy.

Foot Note : The notification was published vide SRO No. 76(E) dated the 10th October, 1983 and subsequently amended vide:-

1. SRO No. 290 dt. 18.08.1986
2. SRO No. 154 dt. 06.04.1987
3. SRO No. 298 dt. 25.09.1987
4. SRO No. 110 dt. 28.05.1990
5. SRO No. 140 dt. 28.06.1990
6. SRO No. 224 dt. 30.09.1991
7. SRO No. 225 dt. 30.09.1991
8. SRO No. 183 dt. 22.06.1992
9. SRO No. 184 dt. 20.05.1993
10. SRO No. 188 dt. 21.08.1995
11. SRO No. 94 dt. 16.05.1996
12. SRO No. 172 dt. 11.12.1998
13. SRO No. 37 dt. 24.02.1999
14. SRO No. 183 dt. 16.08.2000
15. SRO No. 44 dt. 18.02.2003
16. SRO No. 67 dt. 30.05.2003
17. SRO No. 157 dt. 17.10.2003
18. SRO No. 55 dt. 24.04.2006
19. SRO No. 90 dt. 30.06.2006
20. SRO No. 14 dt. 26.02.2007
21. SRO No. 26 dt. 22.09.2009
22. SRO No. 46 dt. 04.07.2013

(रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग)

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 2016

का.नि.आ. 02.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय, सिविल निर्माण काडर समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2016 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन विभाग में संपदा अधीक्षक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं,

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, संपदा अधीक्षक, सिविल निर्माण संवर्ग समूह 'ख' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन सिविल निर्माण संवर्ग समूह 'ख' पद (संपदा अधीक्षक) भर्ती(संशोधन) नियम, 2016 के अनुसूची के स्तंभ 11 के उप शीर्षक प्रोन्नति में "कम से कम तीन वर्षों की सेवा" शब्दों के स्थान पर "कम से कम तीन वर्षों की नियमित सेवा" शब्द रखे जाएंगे।

[फा.सं. मा.सं.वि.नि/87116/भ.नि/सिविल निर्माण/सी/पी/02]

हर्षा रानी, अवर सचिव

टिप्पण : रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन, सिविल निर्माण संवर्ग समूह 'ख' पद (संपदा अधीक्षक) भर्ती नियम, 2016 का प्रकाशन भारत के राजपत्र के भाग-II, खंड-4 में दिनांक 25 फरवरी 2016 को प्रकाशित किया गया था।

(Department of Defence Research and Development)

New Delhi, the 24th August, 2016

S.R.O. 02.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, Estate Superintendent of Civil Works Cadre, Group 'B' posts Recruitment Rules, 2016, namely :-

1. (1) These rules may be called the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, Estate Superintendent of Civil Works Cadre, Group 'B' posts, Recruitment (Amendment) Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, Estate Superintendent of Civil Works Cadre, Group 'B' posts Recruitment Rules, 2016, in the Schedule in column (11), under the sub heading promotion, for the words "at least three years" the words "at least three years **regular service**", shall be substituted.

[F. No. DHRD/87116/RRs/Civil Works/C/P/02]

HARSHA RANI, Under Secy.

Notes : The Ministry of Defence, Defence Research and Development Organization, Estate Superintendent of Civil Works, Group 'B' posts Recruitment Rules, 2016 was published in the Gazette of India, Part-II, Section-4, dated the 25th February 2016.

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2016

का.नि.आ. 03.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, संयुक्त निदेशक (प्रशासन) तथा मुख्य प्रशासनिक अधिकारी समूह 'क' पद के भर्ती नियम, 2013 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, संयुक्त निदेशक (प्रशासन) तथा मुख्य प्रशासनिक अधिकारी समूह 'क' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की अनुसूची में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के पद के स्थान पर संयुक्त निदेशक (प्रशासन) तथा मुख्य प्रशासनिक अधिकारी समूह 'क' पद के भर्ती नियम, 2013 :-

(i) स्तंभ (11) में, उपशीर्षक प्रोन्नति में "काडर या विभाग में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो" शब्दों के स्थान पर "उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो" शब्द रखे जाएंगे।

(ii) स्तंभ (12) में प्रविष्टि 4 में, "निदेशक, रक्षा विभाग, रक्षा मंत्रालय या निदेशक/ उप वित्तीय सलाहकार, रक्षा मंत्रालय/वित्त (अनुसंधान तथा विकास)सदस्य", शब्दों के स्थान पर "निदेशक, रक्षा विभाग (अनुसंधान तथा विकास) या निदेशक एकीकृत वित्त (अनुसंधान तथा विकास) सदस्य" शब्द रखे जाएंगे।

[सं. डीएचआरडी/16342/आरआर/जेडी(प्रशा.) एवं मुप्रअ/सी/पी/01/1288/रक्षा(अनु. एवं वि.)/16 तारीख 23 अगस्त 2016]

हर्षा रानी, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम का.नि.आ. सं. 53 तारीख 10 अगस्त 2013 के अन्तर्गत भारत के राजपत्र, भाग- II, खण्ड-4 में प्रकाशित किए गए थे।

New Delhi, the 23rd August, 2016

S.R.O. 03.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, Joint Director(Administrative) and Chief Administrative Officer Group 'A' post Recruitment Rules, 2013, namely :-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, Joint Director(Administrative) and Chief Administrative Officer Group 'A' post, Recruitment (Amendment) Rules 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the schedule to the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, Joint Director (Administrative) and Chief Administrative Officer Group 'A' post, Recruitment Rules, 2013, against the post of Chief Administrative Officer;

(i) in column (11), under the sub-heading "Promotion" for the words "with five years regular service in the cadre or department", the words "with five years regular service in the grade" shall be substituted;

(ii) in column (12) in entry 4, for the words "Director, Department of Defence, Ministry of Defence or Director/Deputy Financial Advisor, Ministry of Defence/Finance (Research and Development)... Member", the words "Director, Department of Defence(Research and Development) or Director Integrated Finance (Research and Development) ... Member" shall be substituted.

[No. DHRD/16342/RRs/JD(Admn)&CAO/C/P/01/1288/D(R&D)/16 dated the 23 Aug, 2016]

HARSHA RANI, Under Secy.

Note : The Principal Rules were published in the Gazette of India, Part II, Section-4 vide S.R.O. No 53 dated the 10th August 2013.